

पत्र संख्या 381 / 16 / 2025
सेवामें,

दिनांक 10/02/2025

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय- वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/10625/2015 जनपद रुद्रप्रयाग के के अन्तर्गत गैठाणा सिरवाडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.1325 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ- भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/272/2015/एफसी/1793 दिनांक 31.01.2018 एवं आपका पत्र संख्या 3511/12-1(2) दिनांक 27.04.2023 एवं 2368/12-1(2) दिनांक 01.02.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व ही इस कार्यालय के पत्र संख्या 2754/16सी दिनांक 12.09.2019 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी हैं, किन्तु शैद्धान्तिक स्वीकृति के 5 वर्ष व्यतीत होने के कारण एनपीवी की बढ़ी हुई धनराशि जमा करने के उपरान्त पुनः संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार पुनः पुनः प्रेषित की जा रही है-

क्र0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.265 है0 ग्राम गैठाणा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.265 है0 में वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0 15,87,125.00 मात्र जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न- संलग्नक-1)। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि के हस्तान्तरण /नामान्तरण से सम्बन्धित अमल दरामद जिलाधिकारी के पत्र संख्या 3790/छब्बीस-16/(2018-19) दिनांक 07.06.2019 द्वारा किया गया है, प्रति संलग्न है (संलग्नक-2)। तथा प्रत्यावर्तित भूमि पर पिलरों द्वारा सीमांकन का प्रमाण पत्र एवं कब्जा प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-3)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 2 के अनुपालन में इको क्लास के अनुसार 3.1325 है0 वनभूमि एनपीवी की देय धनराशि रु0 26,46,963.00 मात्र की उक्त खाते में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक-1)।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी मूल्य की दर में बढ़ोत्तरी की धनराशि रु0 14,02,890.00 मात्र की धनराशि ऑन लाइन जमा की जा चुकी है, चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक-4)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह निश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost, NPV etc) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किये गए चालान के माध्यम से उचित ऑन लाइन बैंक में जमा किए जाएं अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	शर्त संख्या 1, 2 व 3 के अनुसार कुल धनराशि रु0 15,87,125.00 + 26,46,963.00 + 14,02,890.00 = 56,36,978.00 ऑन लाइन के माध्यम से जमा की जा चुकी है।
5	सड़क के निर्माण के पश्चात जहां-जहां हो सड़के के दोनों किनारों पर Central Verge पर विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की बचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क के निर्माण के पश्चात जहां-जहां हो सड़के के दोनों किनारों पर Central Verge पर विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation करने हेतु बचनबद्ध है (संलग्नक-5)

6	State Govt will submit original/attested copy of proceedings of VLC village Badhani under FRA	ग्राम बधाणी के VLC की मूल प्रति संलग्न है। (संलग्नक-6)
7	State Govt will review the density mentioned as 0.60 while the number of trees affected are 55 trees per ha and correct NPV and online column, if required.	Related to D.F.O.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(ई० इन्द्रजीत बोस)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि-

- नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

01-

सलानक (1)

Gaithana Sirnadi mkr

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 16-02-2019	
Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6110625526
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/272/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PWD PROVINCIAL DIVISION RUDRAPRAYAGRudraprayag
Amount(in Rs)	4234088/-

Amount in Words :Forty-Two Lakh Thirty-Four Thousand and Eighty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110625526 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003



This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Edgjit

बिबिबासो कर्मचारी

बान्नीब खण्ड

to://foresterclearance nic in/ for Account/No. Challan

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रवा. एवं लो. वि. वि.
रुद्रप्रयाग

प्रति अनुमति
सहायक अभियन्ता
लो. वि. वि.
रुद्रप्रयाग

4	FP/UK/ROAD/11810/2015 Construction of Galthana-Sinwari Motor road under State Sector	ROAD1181020154126111810412	31 Jan 2018	CA: 1587125/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 2646963/-, Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 4234088/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by: 26 Feb 2018 Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated: 16 Feb 2019 Transaction Date: 26 Feb 2019	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/2111231238121468/R8De.../note.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCor...aspx? pid=ROAD106252015526)
5	FP/UK/ROAD/29371/2017 Construction of Kumoli (Kamdhar) to Bamoli Malkoti Motor road under State Sector	ROAD29371201758061129371580	05 Sep 2018	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 390915/-, plantation 1378829/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1769744/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by: 03 Nov 2018 Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated: 16 Feb 2019 Transaction Date: 26 Feb 2019	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/1011312261215H0QORDemandnote.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCor...aspx? pid=ROAD293712017580)
6	FP/UK/ROAD/11345/2015 Construction of Ratangarh- Thapla-Kuniyali Motor Road under State sector	ROAD1134520156066111345606	21 Feb 2018	CA: 1336199/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1575158/-, Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2911357/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by: 29 May 2018 Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated: 22 Jan 2019 Transaction Date: 12 Feb 2019	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/5112112012132ZENDemandnote.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCor...aspx? pid=ROAD113452015606)

Handwritten: 2102-1



संलग्न 2
:: आ दे श ::

1086 / 1661
20/8/19

अधिशाली अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के अर्न्तगत गैठाणा-सिरवाडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु वन विभाग को दोगुने भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश संख्या-1430/111 (2)/11-04/मु.मं.घो./2011 दिनांक 25 मार्च 2011 के द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त प्रकरण पर उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जखोली ने अपने जांच आख्या पत्रांक-287/र0का0/2014-15 दिनांक 20 नवम्बर 2018 के द्वारा अवगत कराया है कि, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कोट बांगर के अर्न्तगत राजस्व ग्राम गैठाणा की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या- 44 के खसरा नं0-692 रक्वा 6.510 हे0 मध्ये 6.265 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर चयनित भूमि के नक्शा, खसरा एवं खतौनी की नकल प्रस्तुत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित करने हेतु अपनी संस्तुति रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

अतः शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-02 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जखोली द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कोट बांगर के अर्न्तगत राजस्व ग्राम गैठाणा की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या- 44 के खसरा नं0-692 रक्वा 6.510 हे0 मध्ये 6.265 हे0 चयनित उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/नामान्तरित एवं अमलदरामद करने की ऐतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टच/-

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या- 3790 / छब्बीस-16 / 2018-19

दिनांक: रुद्रप्रयाग: जून 07, 2019.

प्रतिलिपि:-

- 1- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फौरेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- सचिव, राजस्व विभाग अनुभाग-02 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 3- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-04 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।
- 7- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जखोली को उक्तानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- 8- अधिशाली अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग।

प्रति गुन्थपिन
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

मुह
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

२१००१-२

1604 | 1640
04/12/2018

प्रेषक,

तहसीलदार
जखोली।

सेवामें,

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

द्वारा:-

उप जिलाधिकारी जखोली।

संख्या 28)

/र0का0-2014-15 दिनांक 20, नवम्बर 2018

विषय:-

जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत गैठाणा-सिरवाडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.1325 है0 भूमि वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग के कार्यालय के पत्र संख्या-3408/16-सी दिनांक 15-09-2018, जो कि श्रीमान् जी को सम्बोधित है, के क्रम में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग को गैठाणा-सिरवाडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.1325 हेक्टेयर भूमि वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.265 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण चिन्हित भूमि के अमलदरामद हेतु खसरे-खतौनी की नकल चाही गई है, प्रकरण पर राजस्व उपनिरीक्षक कोट बांगर से जांच कराई गई राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अपनी जांच से अवगत कराया गया है, कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम गैठाणा के ज0वि0रहित खतौनी खाता संख्या-44 के खसरा नम्बर 692 रकवा 6.510 हेक्टेयर मध्ये 6.265 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई है, उक्त भूमि श्रेणी-9-3-(ड.) बजरं भूमि दर्ज है, तथा राजस्व उपनिरीक्षक कोट बांगर की जांच एवं नक्शा खसरा एवं खतौनी की एक-एक प्रति मूल में संलग्न कर वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्न-यथोपरि।

तहसीलदार
जखोली।

प्रतिलिपि-अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग को पत्र संख्या-3408/16-सी दिनांक 15-09-2018, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तहसीलदार
जखोली।

तहसीलदार जखोली की आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित।

उप जिलाधिकारी
जखोली।

so: nautiyal
28/11

प्रति संस्तुति
रक्षक अभियन्ता
प्र0ज0 लोकनि0वि0
रुद्रप्रयाग

ਸੇਵਾ ਮੈਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਣਜੀਤਦਾਸ ਮਹੋਦਯ
ਰਣ - ਜਰਵਾਲੀ

विषय - जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अंतर्गत गैर
सिखाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.1325 हे०क०भूमि का गैर वा
कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रयावर्तन (पतावली संख
FP/UK/ROAD/10625/2015।

महोदय,
आपके आदेश दि०- 17/10/2018 के अनुपालन में मैं
सिरवाड़ी मोटरमार्ग के निर्माण में सतिप्रक वृक्षारोपण हेतु ग
मैंगणा के जमींदारी विनाश रहित खतौनी खाता सं०-44 के
खसरा नं०- 692, रकबा 6.510 हे० मध्ये 6.265 हे० सिविल
भूमि प्रस्तावित की जाती है, उक्त भूमि श्रेणी -E (3) ड. बंजर
दर्ज कागजात है, क्षतिप्रक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि क
नक्शा, खसरा एवं खतौनी तीन-तीन प्रतियों में संलग्न व
अभ्यंतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

उत्तः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित ।

R. K.
(7)

~~52~~
DIR
)

20/11/18

सत्यमेव जयते

सहायक अधीक्षक
गो.सं. जे. वि. वि.
अ.प्र.सं. १००

राज्य एवं उप निरीक्ष.
कोट बांगर

नकल खतौनी ज० वि० र०

संलग्न-2

जिला - गैठाना

रा० उ० नि० क्षेत्र - कोट बांगर,

तहसील - जखोली

जनपद - रुद्रप्रयाग,

श्रेणी :- वर्ग - ६ (३) इ. खेत के बाहर की कृषि योग्य भूमि,

1	2	3	4	5	6	7	8-21
	44	-	उत्तर प्रदेश सरकार - वर्ग-9-3(अ)	692	6.510 (32511)	घाट क्रमांक	मुन्डाजीमान जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के कार्यालय आदेश है 3790/दखील-16/2018-19 दि -रुद्रप्रयाग जून 07, 2019 के क्रम में कं गैठाना सिखाड़ी मोहल्ला में अधिकृत भूमि खसरा नं० 692 रकबा 6.510 हे० मध्ये रक 6.265 हे० भूमि क्षतिपूर्व वृद्धो हेतु गैर वाणिजी कार्य हेतु वन विभाग के नाम अमलकरामद किया। ह० अ० 24/0 रा० उ० नि० कोट बांगर
				9	6.510		

नोट- नकल खतौनी ज० वि० र० असल से तैयार की गई,

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
रा० उ० नि० कोट बांगर
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रति सत्यपिता
सहायक अभियन्ता
रा० उ० नि० कोट बांगर
जनपद रुद्रप्रयाग

24/06/19
रा० उ० नि० कोट बांगर
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-कोट बांगर
तहसील-जखोली
जनपद रुद्रप्रयाग

समाप्त - 2



प्रति सत्यम्

सहायक अभियन्ता
प्रा.अ.० ए.० वि.०
त.० य.०

नोट - रवतरा नं० - ६९२, रकमा - ६.५१० रु० मध्ये ६.२६५ रु० अंशम - गोराणा
- खिरवाड़ी मोटर कार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूर्क, ह्रासोपेण हेतु अन्वयित,
- अन्वयित अंशम लागत रकमा ती ते अन्वयित की गई है,

692

र. क्षेत्र I.....
राजस उणिई.....
राजस उणिई.....

१८/११/१८

प्रमाण पत्र

विषय— वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/10625/2015 जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत गैठाणा सिरवाड़ी मोटर मार्ग को निर्माण हेतु 3.1325 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि गैठाणा सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि पर पिलरों द्वारा सीमांकन कर लिया गया है।

(इं० इन्द्रजीत बोस)
अधिक्षासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का कब्जा प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत गैठाणा सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.1325 है० वनभूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दुगुनी भूमि ग्राम-गैठाणा राजस्व भूमि 6.265 है० क्षेत्रफल जिसमें कि जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के द्वारा म्यूटेशन आदेश निर्गत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है। म्यूटेशन तथा अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार है-

म्यूटेशन आदेश का पत्रांक व दिनांक	श्रेणी	खाता संख्या	खसरा नम्बर	कुल रकवा है० में	अर्जित रकवा है० में
3790/छब्बीस-16/2018-19 दिनांक 07.06.2019	श्रेणी-9-3-(ड) बंजर	44	692	6.510	6.265
	योग			6.510	6.265

उपरोक्त भूमि का प्रयोक्ता अभिकरण लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा मौके पर मानकानुसार पिलरों से सीमांकन किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	कुल क्षेत्रफल है० में	पिलर संख्या	पिलर का साईज	अक्षांश	देशान्तर
ग्राम गैठाणा	6.265	8	60cm x 60cm x 75cm	30.494969 N 30.49673 N 30.497191 N 30.494136 N 30.494326 N 30.494156 N 30.495758 N 30.494882 N	78.928885 E 78.928161 E 78.926721 E 78.931239 E 78.929886 E 78.930212 E 78.928258 E 78.929437 E

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर
अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित/सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण व कब्जा दिया जाता है।

(मनीष कुमार)
रा० 30 नि० क्षेत्र. K. H. Singh / Kot-Pangun
तहसील... J. K. Singh
जनपद रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर
तहसीलदार
राजस्व विभाग
मुखर सहित

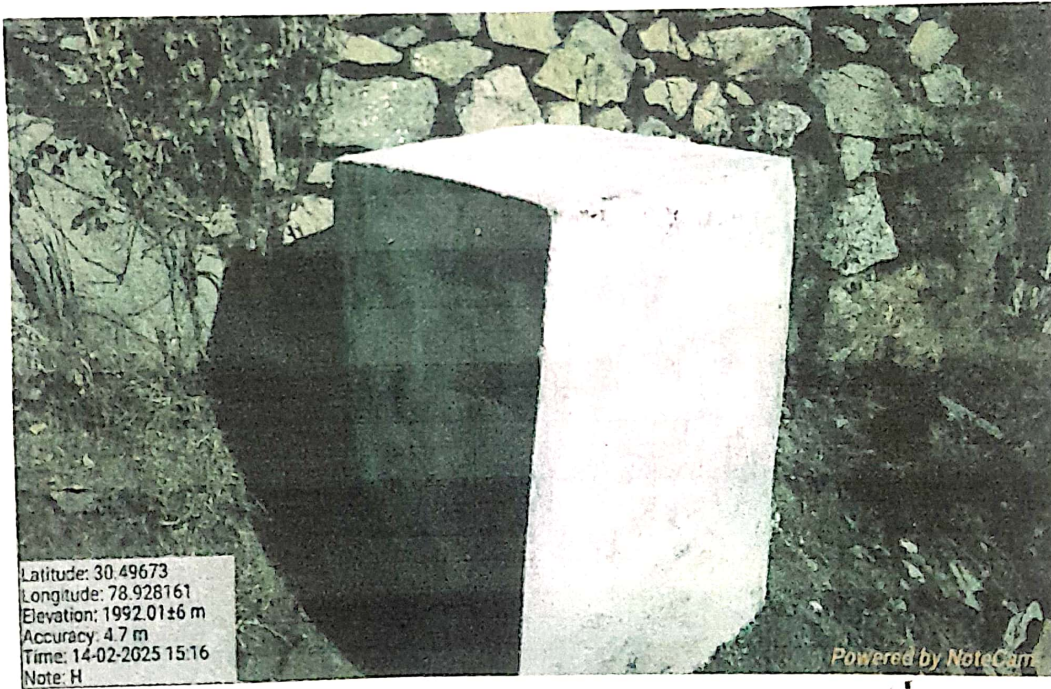
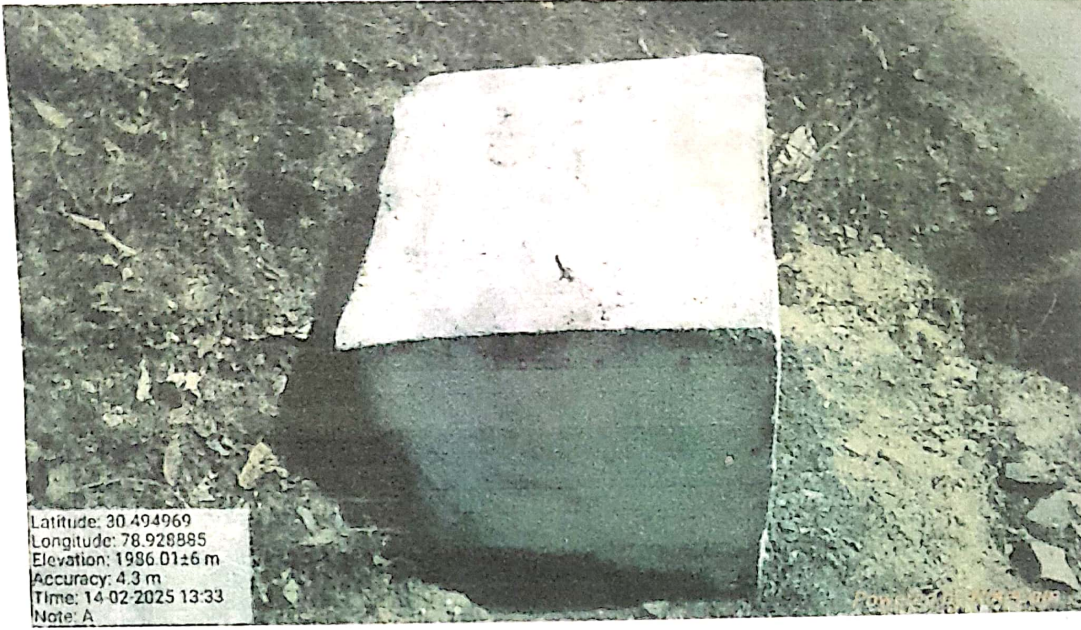
उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित/सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के कब्जे में लिया जाता है।

हस्ताक्षर
जनपद रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर

वन विभाग
मुखर सहित

૨૧
ગૌહાળી-સિરવાડી મોરમાર્ગ ચિન્હિત ક્ષણિપુરમ વૃક્ષરોપણ ખૂંટી
ગ્રામ- ગૌહાળી

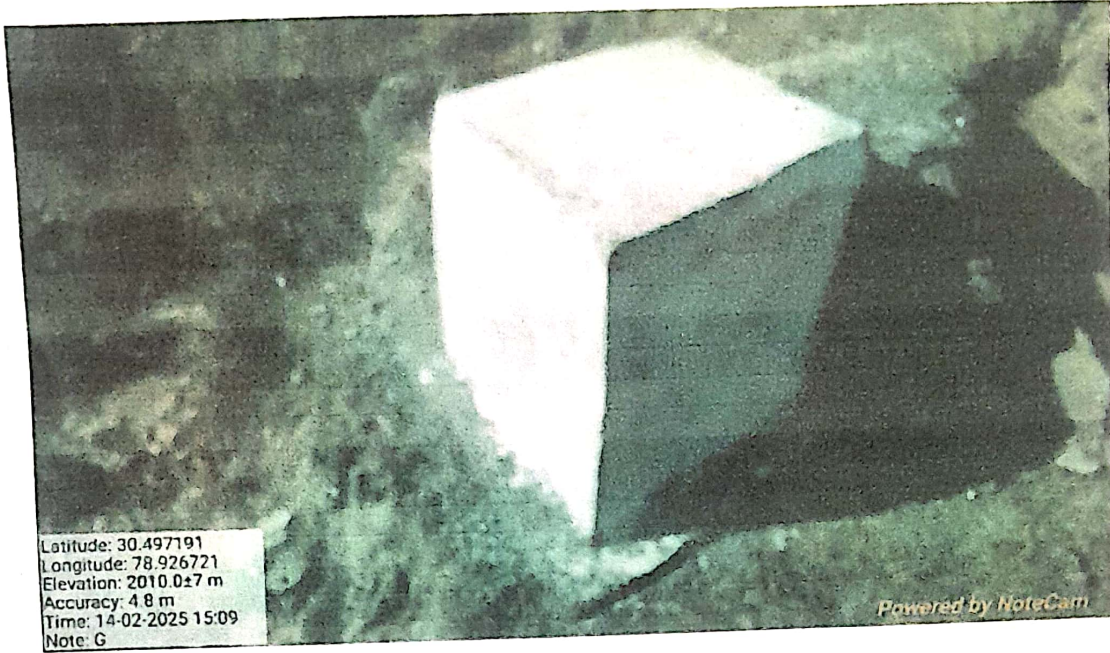



સા.વ. ભો.નિ.વિ.
રુપપ્રયાગ


સહાયક અભિયન્તા
પ્રાંચીય સ્પંડ લો.નિ.વિ.
રુપપ્રયાગ


અધિશાસી અભિયન્તા
પ્રાંચીય સ્પંડ લો.નિ.વિ.
રુપપ્રયાગ

गैठाणा - सिरवाड़ी मॉरमार्ग देहु चिन्हित दक्षिण
 वृक्षारोपण भूमि
 ग्राम - गैठाणा

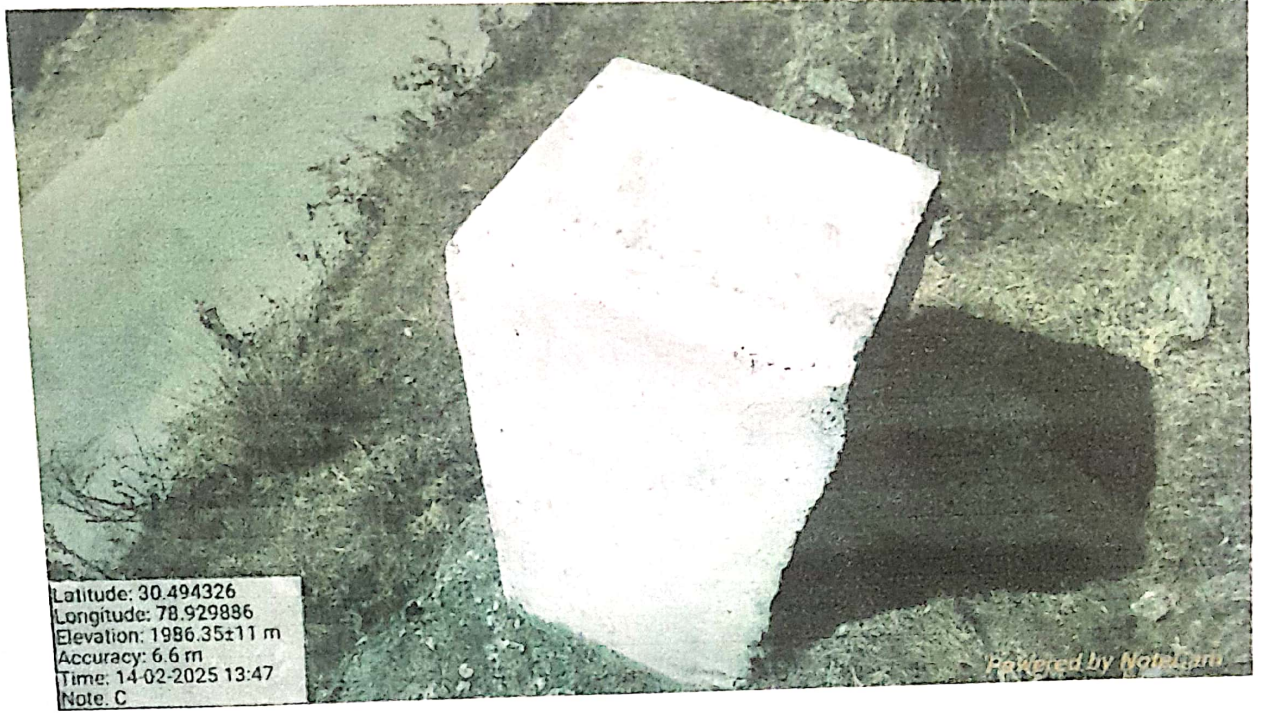



 - आमीर
 प्रो. वं. ले. नि. वि.
 क. प्रपाग


 सहायक अभियन्ता
 प्रा. वं. ले. नि. वि.
 क. प्रपाग

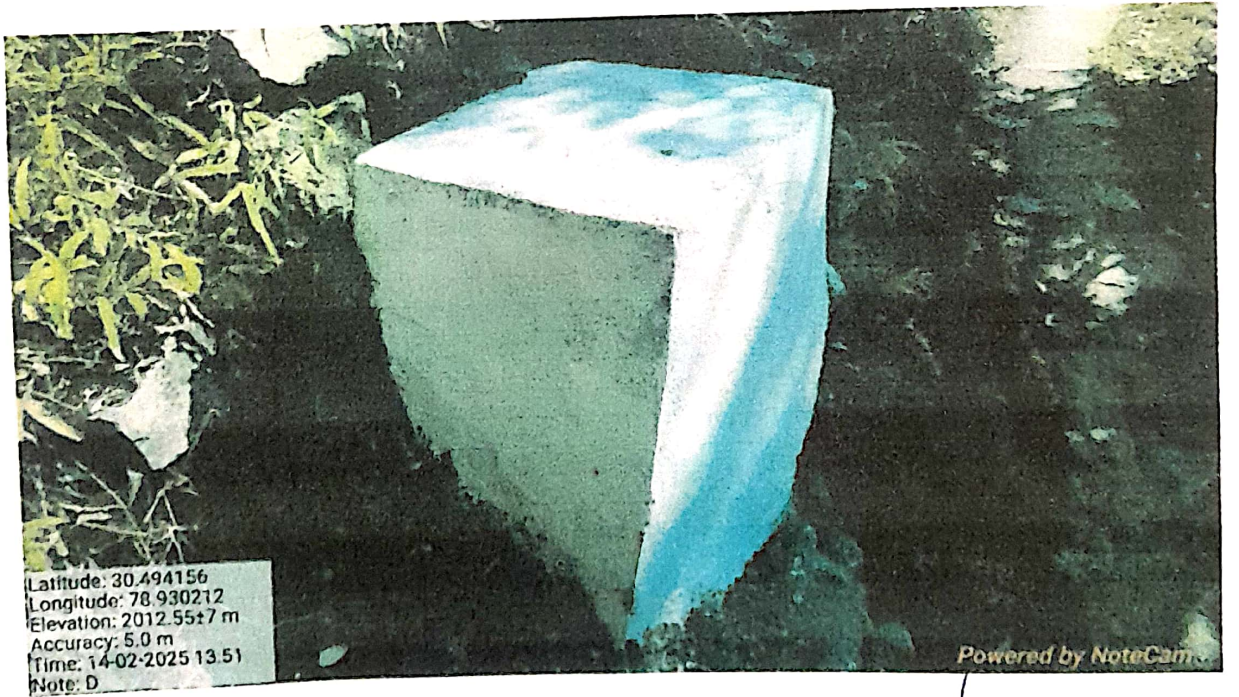

 अधिकारी अभियन्ता
 प्रो. वं. ले. नि. वि.
 क. प्रपाग

गैठगा - सिरवाड़ी मोटरमार्ग हेतु चिन्हित क्षतिपूर्क
वृक्षारोपण भूमि,
ग्राम - गैठगा



Latitude: 30.494326
Longitude: 78.929886
Elevation: 1986.35±11 m
Accuracy: 6.6 m
Time: 14-02-2025 13:47
Note: C

Powered by NoteCam



Latitude: 30.494156
Longitude: 78.930212
Elevation: 2012.55±7 m
Accuracy: 5.0 m
Time: 14-02-2025 13:51
Note: D

Powered by NoteCam

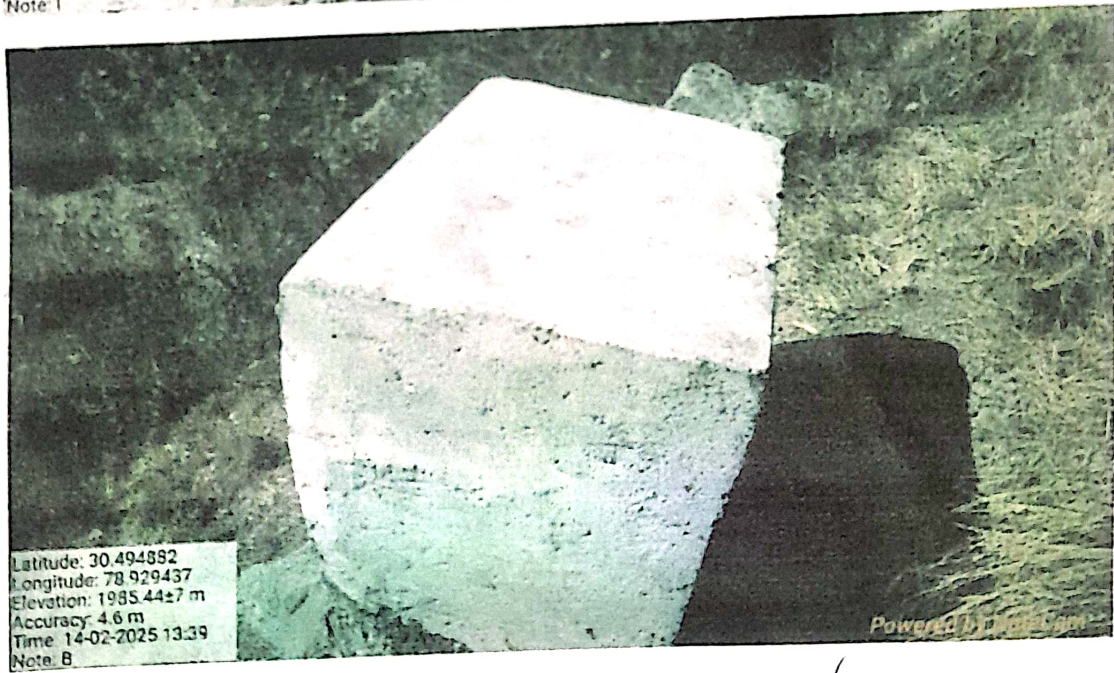
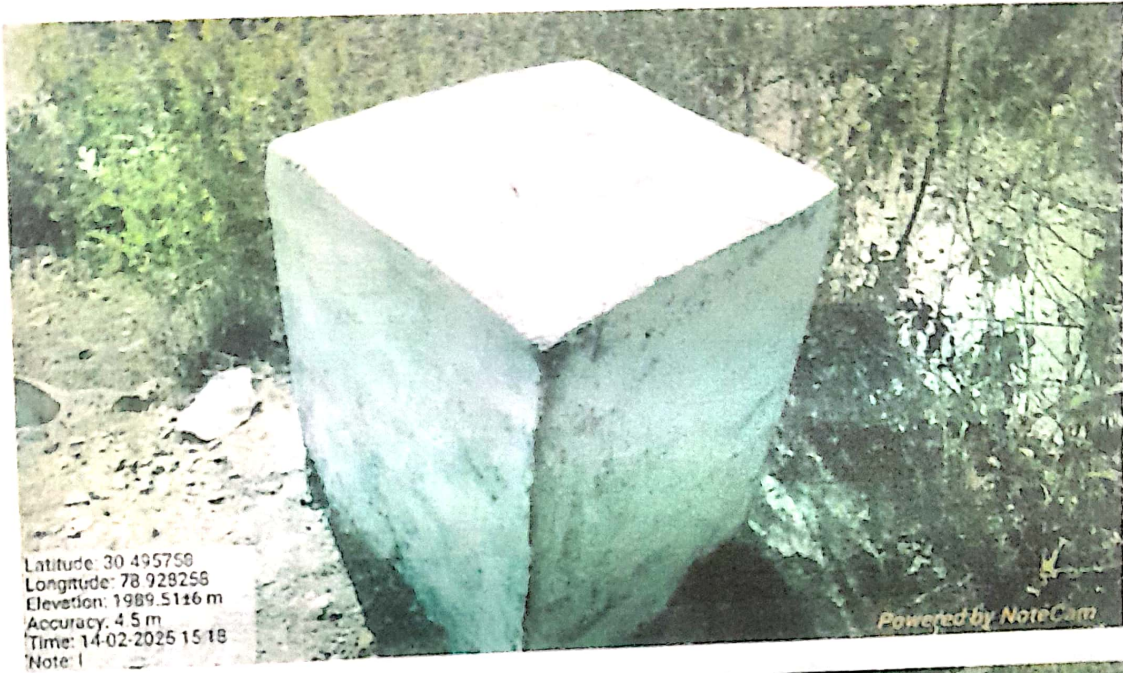

जिला
म.स.न.वि.वि.
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०सो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिसारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

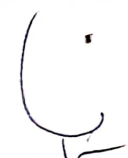


गैठाणा - सिरवाड़ी मोटरमार्ग हेतु चिन्हीत क्षतिपूर्क
वृक्षारोपण भूमि
ग्राम - गैठाणा




अधीक्षक
प्र.वि.लो.नि.वि.
कन्नडगाव


सहायक अभियन्ता
प्र.वि.लो.नि.वि.
कन्नडगाव


अधिसाक्षी अभियन्ता
प्र.वि.लो.नि.वि.
कन्नडगाव

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग - १
(देखें अध्याय - आठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

E-Sign

तारीख - 18-6-2024
Transaction ID - M19000422706241006

- 1- जनपद का नाम
2- कोषागार का नाम
3- देयक की अवधि काब से कब तक
4- रिकार्ड कोड

5- कोषागार/उपकोषागार का कोड

6- देयक पंजी की क्रम संख्या

7- वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)

8- मतदेय/भारित

9- लेखाधीन संख्या 13 अंकों का कोड (4 मुख्य लेखाधीन + 2 उपमुख्य धीन + 3 सपुर्धीन + 2 उपसपुर्धीन + 2 ब्योरेवार धीन)

10-आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम

11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड

12- अधिष्ठान का नाम

13- अनुदान संख्या : (022) लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या

17- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग

1	0	3
9	0	0
0	0	0
0	2	0
0	0	3

मतदेय

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

अधिकांसी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी ठब्डी रुद्रप्रयाग

4	2	2	7
---	---	---	---

अधिकांसी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी ठब्डी रुद्रप्रयाग

14- सोर्स कोड : 0

15- सेक्टर कोड :

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

Project : PR9000422706241001 वर्ष 2024-25 एनपीवी0, क्षतिपूर्क वृक्षरोपण एवं प्रतिकर मद
Contract :

लेखाधीन संख्या विवरण

(5054) सड़क तथा सेतुओं पर दीर्घगता परियोजना
(04) जिला तथा अन्य सड़कें
(337) सड़क निर्माण कार्य
(03) राज्य सेक्टर
(04) एनपीवी0 का भुगतान / भूमि अधिग्रहण

वाउचर दिनांक

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस वित्त को समितित करने हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	4918025	3188080	1729945

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	14,02,890
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	14,02,890

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	14,02,890

Sl. No.	व्यय संख्या विवरण	धनराशि ₹0	अभ्युक्ति
1	GAITHANA /18-JUN-2024/Mr Uttaranchal Campa Galthana	14,02,890	
66-	सकल धनराशि अग्रिम समायोजन के बाद	14,02,890	
77-	सम्पूर्ण कटौतियां	-	
99	शुद्ध देय धनराशि 66-77	14,02,890	

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद देयक प्रपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

प्रभागीय लेखाधिकारी

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकांसी अभियंता

प्रांतीय सड़क लेखाधिकारी

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

(अग्रिम समायोजन के बाद केवल) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

निष्पत्रक/प्रतिनियंत्रक/अधिकारी/उपनिर्देशक
(केवल काउन्टरसाईन्ड कटौतियों के प्रकरण में ही लागू)
(पदनाम एवं कोषागार की मुहर)

खण्डीय लेखाधिकारी

मुद्रित 14,02,890 रुपये केवल

संलग्न द्वारा ₹0 -

सकल धनराशि ₹0 14,02,890

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Sl. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	OP9000422706241006 Mr Uttaranchal Campa Galthana	Saving	UBIN0996335	150896110625204	1402890	0	0	1402890
					1402890	0	0	1402890

प्रतिनियंत्रक
सकल अग्रिम
14,02,890 रुपये केवल
कोषागार

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-06-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6110625204
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/272/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PWD PROVINCIAL DIVISION RUDRAPRAYAGRudraprayag
Amount(In Rs)	1402890/-

Amount In Words : Fourteen Lakh Two Thousand Eight Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110625204 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-06-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6110625204
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/272/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PWD PROVINCIAL DIVISION RUDRAPRAYAGRudraprayag
Amount(In Rs)	1402890/-

Amount In Words : Fourteen Lakh Two Thousand Eight Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110625204 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

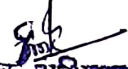
Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा-सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0

Strip Plantation on Central Verge (बचनबद्धता) का
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां जहां सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों पर विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा-सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- सिरवाड़ी

तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा-सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु (2.8875 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.2450 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.0000 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.1325 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

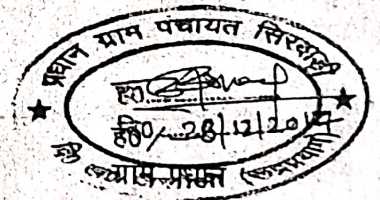
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिरवाड़ी द्वारा दिनांक 28/12/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिरवाड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
मु0मं0घो0
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
मु0मं0घो0
रुद्रप्रयाग

Handwritten signature: *[Illegible]*

प्रपत्र-23.1

दिनांक 20/12/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।
ग्राम पंचायत गौरीना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामेश्वर सिंह	रामेश्वर सिंह
2	मनमोहन सिंह	मनमोहन सिंह
3	रामेश्वर सिंह	रामेश्वर सिंह
4	रामेश्वर सिंह	रामेश्वर सिंह
5	रामेश्वर सिंह	रामेश्वर सिंह
6	रामेश्वर सिंह	रामेश्वर सिंह
7	रामेश्वर सिंह	रामेश्वर सिंह
8	रामेश्वर सिंह	रामेश्वर सिंह
9	रामेश्वर सिंह	रामेश्वर सिंह
10	रामेश्वर सिंह	रामेश्वर सिंह
11	रामेश्वर सिंह	रामेश्वर सिंह
12	रामेश्वर सिंह	रामेश्वर सिंह
13	रामेश्वर सिंह	रामेश्वर सिंह
14	रामेश्वर सिंह	रामेश्वर सिंह

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रा० ए० लो० नि० वि०
रामेश्वर सिंह



प्रति सम्पन्न
सहायक अभियन्ता
प्रा० ए० लो० नि० वि०
रामेश्वर सिंह

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा-सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- जखोली

तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा-सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु (2.8875 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.2450 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.0000 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.1325 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जखोली द्वारा दिनांक 25/12/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जखोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा-सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- जखोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा-सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0 (2.8875 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.2450 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.1325 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जखोली) की दिनांक 31.11.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~उप जिलाधिकारी~~ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ~~उप जिलाधिकारी~~ उप जिलाधिकारी ————— अध्यक्ष
- 2- श्री ~~सहायक समाज कल्याण अधिकारी~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी ————— सदस्य
- 3- श्री ~~उप जिलाधिकारी~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी ————— सदस्य / सचिव
- 4- श्री ~~उप जिलाधिकारी~~ उप जिलाधिकारी ————— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा-सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0 परियोजना हेतु 3.1325 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा-सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु 3.1325 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय सदस्य गैठाणा (बाँगर)
विकास खण्ड जखोली
जनपद-रुद्रप्रयाग

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड जखोली
जनपद रुद्रप्रयाग

73

Photo copy attested

सहायक आयुक्त
मु0 ख0 लो0 वि0 वि0
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग

उप जिलाधिकारी
मु0 ख0 लो0 वि0 वि0
रुद्रप्रयाग

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No--37

Dated: 22-02-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.1325 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Provincial Division P.W.D. Rudraprayag (name of user agency) for Construction of gaithana-Sirwadi Motor Road under State Sector (purpose for diversion of forest land) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Gaithana, Sirwadi, Bhelunta village (s) in Jakholi tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्त लोकविधि
रुद्रप्रयाग

(Dr. Raghar Langer) Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

69
विभागाध्यक्ष
रुद्रप्रयाग

प्रान्त लोकविधि
सहायक अभियन्ता
प्रान्त लोकविधि
रुद्रप्रयाग

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langar I.A.S deputy commissioner Rudraprayag on date 27-02-2015 at time 3.00 PM at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 3.1325 hect for the Construction of Gaithana-Sirwadi Motor Road (5.00 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated:.....

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
मुख्य लेखिका